प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, बेंगल्र

सं.प्र.नि.ले.प.(कें.)/प्रशा./ए/2022-23/156

दिनांक : 12.08.2022

परिपत्र

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के दिनांक 03.08.2021 के परिपत्र सं.27/2021 सं.967-स्टाफ (नियुक्ति-I) में निहित दिशा-निर्देशों, यथा समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, बेंगलूर में उरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/पर्यवेक्षकों के संवर्ग में/ और सहायक पर्यवेक्षकों/विरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों के संयुक्त संवर्ग में विद्यमान रिक्तियों के प्रति अल्पाविध अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए सेवानिवृत विरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/पर्यवेक्षकों/सहायक पर्यवेक्षकों/विरिष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

अल्पाविध अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्ते निम्नलिखित हैं:

1. पात्रताः

- सेवानिवृत विरष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा/राज्य राजस्व लेखापरीक्षा/स्वायत निकायों की लेखापरीक्षा/लेखा-प्रमाणन का ज्ञान होना आवश्यक है। एमएस ऑफिस का संयक ज्ञान एवं कंप्यूटरीकृत परिवेश में काम करने की जानकारी भी वांछित है।
- ii. सेवानिवृत्त पर्यवेक्षकों/सहायक पर्यवेक्षकों/विरष्ठ लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों को केंद्रीय लेखापरीक्षा/राज्य राजस्व लेखापरीक्षा/स्वायत निकायों की लेखापरीक्षा और स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों के पुनरीक्षण का ज्ञान होना आवश्यक है। एमएस ऑफिस का संयक ज्ञान एवं कंप्यूटरीकृत परिवेश में काम करने की जानकारी भी वांछित है।

2. अवधि और आयु सीमा:

- i. 01.08.2022 के अनुसार आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी भी सेवानिवृत अधिकारी/सीए/सीएमए को काम पर नहीं रखा जाएगा।
- ii. अनुबंध की अविध प्रारंभ में एक वर्ष के लिए है जो उनके निष्पादन एवं सेवा की अपेक्षाओं के आधार पर एक-एक वर्ष की अविध के हिसाब से अधिकतम पांच वर्ष की अविध तक बढ़ाई जा सकती है।

3. पारिश्रमिक और भतेः

क. सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन घटाने के बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर एक मासिक रकम। इस प्रकार नियत की जाने वाली राशि अनुबंध की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

- ख. निवास स्थान और कार्य-स्थल के बीच यात्रा करने के लिए परिवहन भते के रूप में एक उपयुक्त एवं नियत राशि दी जाएगी, जो नियुक्ति पाने वाले को उनकी सेवानिवृति के समय
- अनुबंध के दौरान कोई वार्षिक वेतनवृद्धि/प्रतिशतता वृद्धि, महंगाई भता तथा माकन किराया भता नहीं दिए जाएंगे।

अल्पाविध अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी को पूरे किए गए छुट्टी: प्रत्येक माह की सेवा के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन छुट्टी दी जाएगी। एक कैलेंडर वर्ष के आगे छुट्टी का संचयन नहीं करने दिया जाएगा। तथापि, कफर्यू, बंद, हइताल, लॉकडाउन के दौरान होने वाली अनुपस्थिति को उसी प्रकार माना जाएगा, जैसा कि सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में अनुपस्थिति को माना जाता है। यदि अल्पावधि अनुबंध के आधार पर काम पर रखे हुए अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त से भिन्न किन्हीं कारणों से एक महीने में अनुमत सवेतन छुट्टी से अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो उनका पारिश्रमिक निम्न प्रकार से यथानुपात घटा दिया जाएगा:

(नियत मासिक पारिश्रमिक) x (कार्यदिवसों में अनुपस्थित रहने वाले दिनों की संख्या) 22

सौंपे जाने योग्य कार्य और अन्य शर्ते:

सेवानिवृत अधिकारियों को, यथासंभव, फील्ड लेखापरीक्षा कार्य/निरीक्षण कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। यदि अत्यावश्यक हो और परिस्थिति उसकी मांग करती है तो उन्हें फील्ड लेखापरीक्षा कार्य में नियुक्त किया जा सकता है तथा सेवानिवृत्ति के समय उनकी हकदारी के अनुसार यात्रा भता/दैनिदः भता दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भी, वे कोई लेखापरीक्षा/निरीक्षण जापन जारी नहीं करेंगे, जो केवल नियमित अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाएगा।

- 6. संघ/सरकार द्वारा लगाई जाने वाली सांविधिक कटौतियां नियमानुसार की जाएंगी।
- 7. नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई आधार पर है तथा कार्यालय द्वारा परामर्शदाता की नियुक्ति को कभी भी समाप्त किया जा सकेगा। परामर्शदाता भी कार्यालय को एक माह की पूर्व सूचना देकर काम छोड़ सकते है।
- 8. इस परिपत्र के संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्त करने अथवा नियुक्त न करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित है।

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के इच्छुक सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी, जो पात्रता मानदंडों का पालन करते हैं और उपर्युक्त नियत कार्य के लिए इच्छुक हैं, अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विधिवत भरे ह्ए आवेदन डाक द्वारा या ई-मेल पता pdacbengaluru@cag.gov.in पर 09.10.2022 तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँच जाने चाहिए।

प्रतिलिपि:

- 1. प्रधान निदेशक का सचिव
- 2. निदेशक/प्रशा., उप निदेशक/कें.स्वा.नि., उप निदेशक/जी.एस.टी. के सचिव
- 3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/कें.स्वा.नि., प्र.क., जीएसटी, सीमा शुल्क, सेडार, ई.डी.पी एवं एच.के
- 4. कार्यालयीन वेबसाइट
- 5. हिंदी अधिकारी
- 6. परिचालन हेतु सभी तीन कार्यालयों के सूचना पट्ट
- 7. पेंशनभोगी संघ
- 8. सीएजी के अधीन सभी कार्यालयों के विभागाध्यक्ष को ई-मेल द्वारा प्रेषित

मुस्।स्रीय

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

जीवन-परिचय

क्रम सं.	विवरण	
01	सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम	
02	जन्म-तिथि	
03	योग्यता 1. शैक्षिक 2. व्यावसायिक	
04	सरकारी सेवा में आने की तिथि	
05	क्ल सेवाकाल	
06	सेवानिवृति की तिथि	
07	सेवानिवृति के समय धारित पद	
08	किस पद के लिए आवेदन भरा है	
09	यदि स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत हुआ है तो उसके	
10	कार्य-अनुभव (ब्योरा पृथक पृष्ठ में संलग्न किया जाए)	
11	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई है	० ५ ० गन्य पतं

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी उत्तम जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर	
(नाम:	

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), BENGALURU

Date: 12.08.2022

No.PDAC/Admn/A/2022-23/156

CIRCULAR

Applications are invited from retired Sr. Audit Officers/ Assistant Audit Officers/ Supervisors/ Assistant Supervisors/ Sr. Auditors/ Auditors for being appointed on short term contract basis, against the vacancies in the cadres of Sr. Audit Officers/ Assistant Audit Officers/ and combined cadre of Assistant Supervisors/ Sr. Auditors/ Auditors in the O/o the Principal Director of Audit (Central), Bengaluru, in accordance with the Guidelines issued by the Office of the Comptroller and Auditor General of India vide Circular No.27/2021 No.967-Staff (App I)/ 22-2016 dated 03.08.2021 and as amended from time to time.

Terms and Conditions of appointment on short term contract are as under:

1. Eligibility:

- i. The retired Sr.AOs/AAOs should possess knowledge of Audit of Central Revenues/Audit of State Revenues/Audit of Autonomous Bodies/ Certification of Accounts. A sound knowledge of MS Office and knowledge of working in a computerized environment is also desirable.
- ii. The retired Supervisors/Asst Supervisors/Sr.Auditors/Auditors should possess knowledge of Audit of Central /Audit of State Revenues/Audit of Autonomous Bodies and vetting of Local Audit Reports. A sound knowledge of MS Office and knowledge of working in a computerized environment is also desirable.

2. Tenure and age limit:

- i. Age should not be beyond 65 years as on 01.08.2022. No retired Officers/CAs/CMAs shall be hired beyond the age of 65 years.
- ii. The period of Contract is initially up to a period of one year extendable up to a maximum of five terms of one year each based on the performance and requirement of services.

3. Remuneration and Allowances:

- a. A fixed monthly amount, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged for the term of the contract.
- b. An appropriate and fixed amount as transport allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement.
- c. No annual increment/percentage increase, Dearness Allowance and House Rent Allowance shall be allowed during the contract.
- 4. <u>Leave:</u> Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service to the retired Officer/Official hired on short term contract basis.

Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed. However, absence during curfew, bandh, strike, lockdown will be dealt with in a similar way as in the case of serving officers/officials. If retired officers/officials hired on short term contract basis remain absent beyond the paid leave in a month for reasons other than those indicated above, his/her remuneration will be deducted on pro-rata basis as under:

(Fixed monthly remuneration) X(No. of days of absence on working days)

5. Duties assignable and other conditions:

Retired officers shall, as far as possible, not be deputed on field audit duties/inspection. In case of exigencies, if the situation so demands, they may be deputed on field audit duties and TA/DA shall be paid as per their entitlement at the time of retirement. Even in such cases, they shall not issue any audit/inspection memo which will be issued by a regular officer only.

- 6. Statutory deductions levied by the Union/Government shall be made as per rules.
- 7. The appointment is purely on temporary basis and engagement of Consultant would be terminated by the office at any time. Consultant may also discontinue the engagement by giving one month's notice to the office.
- 8. The Office reserves the right to appoint or not to appoint any Officer /Official with regard to this Circular.

Interested retired Officers/Officials of IA&AD, fulfilling the eligibility criteria and willing for above assignments may submit their applications. Duly filled application in all respects must reach the undersigned either by post or through e-mail to pdacbengaluru@cag.gov.in latest by 09.10.2022.

Copy to:

- 1. Secretary to PD
- 2. Secretaries to Dir/Admn, DD/CAB, DD/GST
- 3. SrAOs of CAB, DT, GST, Customs, CeDAR, EDP&HK
- 4. Official Website
- 5. Hindi Officer
- 6. Notice boards of all offices for circulation
- 7. Pensioners Association
- 8. By mail to Heads of Department of all offices under the CAG

Senior Audit Officer/ Admn

BIO-DATA

Sl.No.	Particulars	
1	Name of the retired Officer/Official	
2	Date of Birth	
3	Qualification 1. Educational	
4	2. Professional Date of entry into Govt. Service	
5	Length of Service	
6	Date of Retirement	
7	Post held at the time of retirement	
8	Post applied for	
9	In case of Voluntarily retirement, ground on which retired	
10	Experience. (separate sheet may be attached giving details)	
11	Additional information, if any	

I hereby declare that the information furnished above true and correct to best of my knowledge.

SIGNATURE OF THE APPL	ICANT
(NAME:)